

प्रपत्र -1, भाग -1

पेंशन/सेवानिवृत्ति उपादान /राशिकरण के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें :-

- 1- नाम \_\_\_\_\_
- 2- पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_
- 3- सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :  
(क) स्थायी पता \_\_\_\_\_  
(ख) पत्र-व्यवहार का पता \_\_\_\_\_
- 4- जन्म-तिथि \_\_\_\_\_
- 5- सेवा प्रारम्भ करने की तिथि \_\_\_\_\_
- 6- सेवानिवृत्ति की तिथि \_\_\_\_\_
- 7- सेवानिवृत्ति के समय :  
(क) धारित अन्तिम पद \_\_\_\_\_  
(ख) विभाग का नाम \_\_\_\_\_  
(ग) कार्यालय/संस्था का नाम \_\_\_\_\_
- 8- मृत्यु होने की दशा में जीवनकालीन अवशेष देयों के भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का विवरण :  
(क) नाम \_\_\_\_\_ (ख) मृतक से सम्बन्ध \_\_\_\_\_  
(ग) पता \_\_\_\_\_
- 9- पेंशन का भाग तथा पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है ( % , अधिकतम 40 % ).  
धनराशि रु0 \_\_\_\_\_
- 10- (क) कोषागार का नाम, जहाँ से पेंशन, उपादान आदि आहरित करना चाहते हैं/चाहती हैं \_\_\_\_\_  
(ख) कोषागार में प्रथम भुगतान के बाद बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित करना चाहते हैं/चाहती हैं \_\_\_\_\_  
(ग) बैंक खाता संख्या \_\_\_\_\_
- 11- क्या सरकारी सेवक कोई अन्य पेंशन पा रहा है/रही है ? यदि हाँ तो -  
(क) कोषागार/बैंक का नाम, जहाँ से पेंशन आहरित कर रहे हैं/रही हैं \_\_\_\_\_  
(ख) विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए \_\_\_\_\_
- 12- (क) क्या सरकारी सेवक को सरकारी आवास आवंटित है \_\_\_\_\_  
(ख) यदि हाँ तो सेवानिवृत्ति के उपरान्त भवन खाली करने की अनुमानित अवधि \_\_\_\_\_  
(ग) सेवानिवृत्ति के उपरान्त की अवधियों ( अधिकतम 4 माह ) के किराये का नियमानुसार भुगतान (1) ट्रेजरी चालान द्वारा अथवा (2) कुल आगणित धनराशि रु0 \_\_\_\_\_ की वसूली उपादान से पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।  
(घ) किराये की दर प्रतिमाह (1) सामान्य दर रु0 \_\_\_\_\_ (2) मानक दर रु0 \_\_\_\_\_

## 13-परिवार का विवरण :-

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म-तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

भवदीय/भवदीया

(हस्ताक्षर-सरकारी सेवक)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा उपादान तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय। मैं भली-भांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गई धनराशियां नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर-सरकारी सेवक)

दो साक्षियों जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये :-

1- नाम \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

2- नाम \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहियें जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।)

हस्ताक्षर-सक्षम उच्च प्राधिकारी  
(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्वयं के मामले में)  
(सील सहित)

(हस्ताक्षर-कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)  
(सील सहित)